रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1998 (ज्येष्ठ 2, 1920)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1998 (JYAISTHA 2, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

14, भविष्य निधि भवन, भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली-110066, दिनांक 28 अप्रैल 1998

सं. 2/1059/डी. एल. आई./भाग-1/33—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

...र होगा।

चूंकि, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु ने स्कीम की धारा 18 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्राप्ति की तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1	2	3	4	5
1.	मै० वर्थ इन्डस्ट्रीज 205/1 नैनामन दावप पाण्डेचेरी–605004	पी सी/285	1–1–93 से 31–12–95	डी० एल० आई० 14(286)97
2.	मै० विजेयाश्वरी टैक्सटाइल लि० पुलियमपटी, वाया पोलाची–2 कोयम्बटूर जिला तमिलनाडु	टी० एन०/1097	1–9–96 से 31–8–99	डी० एल० आई० 14(270)97
3.	मै० त्रिवीस्टील रोलिंग मिल्स लि० सेनथीनीपुरम, त्रिरूचिरापल्ली–620004	टी० एन०/4584	1–2–87 से 31–1–90 1–2–90 से 31–1–93 व 1–2–93 से 31–1–96	डी० एल० आई० 14(299)97
4.	मै० सरथास 32, एन० एस० बी० रोड, त्रिची–620002	टी० एन०/7689	1–3–90 से 29–2–92	डी० एल० आई०/ 14(290)97/ टी० एन 1–3–92 से ई० डी० एल० आई० में वापसी
5.	मै० श्री कुमारन बस सर्विस 20 वी ओ० सी० नगर थनजावर–613007	टी० एन०/10747	1–3–89 से 28–2–96	डी० एल० आई०/ 14(298)97 1–3–96 से ई० डी० एल० आई०में; वापसी
6.	मै० इन्डोशैल लि० ए–9, सिडको इन्डस्ट्रीयल स्टेट कोयम्बटूर–21	टी० एन०/10896	1–3–91 28–2–94 व 1–3–94 से 28–2–97	डी० एल० आई० 14(303)97
7.	मै० इलगी फाईनांस लि० इण्डिया हाउस त्रिची रोड कोयम्बटूर–28 शाखाओं सहित	टी० एन०/21291	1–10–89 से 30–9–92 व 1–10–92 से 30–9–95	डी० एल० आई० 14(302)97
8.	मै० जीवन सोलवेन्ट ऐक्सट्रेक्ट्स प्रा० लि० रायापानर नुदानोर मेन रोड मैलानरियापानर–606215 कालाकुरची (टी के) साउथ अरकोट (डि०)	टी० एन०/22753	1–3–89 से 29–2–91	डी० एल० आई० 14(170)97
9.	मै० विजय टायर्स 8/6–2, तनजोर रोड, त्रिची–8	टी० एन०/22891	1–3–91 से 28–2–94 व 1–3–94 से 28–2–97	डी० एल० आई० 14(171)97
10.	मै० पेरियर मनियामाई कालेज आफ टैक्नोलोजी फार वूमेन पेरियार नगर वलम थनजावर–613403	टी० एन०/27964	1–7–96 से 30–6–99	डी० एल० आई० 14(306)97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसा विवरणिया भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक भास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/49—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु ने स्कीम की धारा 18 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	छूट प्राप्ति की तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मैं० नारायन कृष्णा सिन्थेटिक्स प्रा० लि० 6, शक्ति को-आप०, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, इलायनुथुर रोड, उदूमलपेट-642126	टी० एन०/21559	1-11-93 से 31-10-96	डी० एल० आई० 14(241)97
2.	मैं० पुआईनर इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज नं० 1, मद्रास बाई पास रोड सुबरामनयापुरम त्रिचिरापल्ली-620020	टी० एन०/टी० आर०/ 27035	1-3-89 से 28-2-93	डी० एल० आई 14(284)97
3.	मैं० शक्ति सोयास, 180, रेस कोर्स रोड कोयम्बटूर-641018	टी० एन०/28086	1-3-96 से 28-2-99	डी० एल० आई० 14(239)97
4.	मैं० लक्ष्मी मशीन वर्क्स, अरासुर, कोयम्बटूर-641407	टी० एन०/28301	1-7-95 से 30-6-98	डी० एल० आई० 14(238)/97
5.	मैं० शक्ति शुगरस लि० 180, रेस कोर्स रोड, पो० बा० नं० 3775 कोयम्बटूर-641018	टी० एन०/28400	1-10-95 से 30-9-98	डी० एल० आई० 14(240)97
6.	मैं० अरियालर मिल प्रोडयूसर को०आप० सो० लि० अरियालर पोस्ट, अरियालर तालुक, त्रिची डिस्ट्रिक्ट-621704	टी० एन०/6305	1-3-89 से 29-2-92 1-3-92 से 28-2-95 व 1-3-95 से 28-2-98	डी० एल० आई० 14(296)97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 29 अप्रैल, 1998

सं० यूटी/डी०बी०डी०एम०/एस०पी०डी०-89-डी/आर-III/97-98—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनायी गयी संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना, 1998 (आईआईएसएफयूएस '98 का पेशकश दस्तावेज, जिसे 27 जनवरी, 1998 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी,
मुख्य महाप्रबंधक,
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना, 1998

(आईआईएसएफयूएस, 1998)

पेशकश दस्तावेज

पेशकश 23 मार्च, 1998 से 6 मई, 1998 तक
खुली रहेगी

यह यूनिट योजना यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अनुसरण में बनाई गई है।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूच्युल फंड) विनियम 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक पांच वर्षीय नियत कालीन आयोन्मुख योजना है, जिसमें तीन वर्षों के बाद एन ए वी आधारित मूल्य पर योजना से निर्गम किया जा सकता है। यह योजना संस्थागत निवेशकों के लिए है जो किसी विशिष्ट योजना में प्रचुर धन का निवेश करना चाहते हैं।

विशिष्टताएं

* न्यूनतम निवेश दस लाख रुपये और अधिकतम कोई सीमा नहीं। यूनिटों का अंकित मूल्य 10/— रुपये है ।

* यह धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों सहित पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियों, अन्य किन्हीं निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या नियंत्रित हों, सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड और अन्य किसी संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों को शामिल करते हुए)/सरकारी उपक्रमों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों/साझीदारी फर्मों के लिए खुली है।

* ट्रस्ट योजना के सभी पांचों वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर देय 13.50% प्र०व० की दर से सुनिश्चित आय अदा करेगा। आश्वासित प्रतिलाभ देने में कोई कमी पड़ने की स्थिति में उसे विकास प्रारक्षित निधि से पूरा किया जाएगा ।

* प्रचलित एनएवी पर (बिना किसी बिक्री भार के) आय का पुनर्निवेश करने का विकल्प उपलब्ध है।

* योजना की यूनिटें योजना के आरंभ होने की तिथि से छः महीनों के भीतर एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध की जाएंगी।

* योजना के आरंभ होने की तिथि से तीन वर्षों के बाद अर्थात् 1 जून, 2001 से एनएवी आधारित मूल्य पर पुनर्खरीद की अनुमति होगी।

* यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेदित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का विमोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा । समय पूर्व पुनर्खरीद की कोई गारंटी नहीं दी जाती है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा ।

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट।

जोखिम के तत्व

* समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए पूंजी को सुरक्षा प्रदान करने की कोई गारन्टी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा ।

* योजना के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

* ट्रस्ट के पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।

* संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना, 1998 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

* ट्रस्ट 33 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 58,000 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है। पिछले वर्षों की आश्वासित प्रतिलाभ योजनाओं के आश्वासित प्रतिलाभ के भुगतान में यूटीआई कभी असफल नहीं हुआ है। यूटीआई, भविष्य में ऐसे आश्वासित प्रतिलाभ के भुगतान के लिए संसाधनों की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट है।

यूटीआई की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देना तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता करना था। ट्रस्ट ने 1 जुलाई, 1964 से काम करना आरंभ किया था।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1. श्री जी० पी० गुप्ता	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डॉ० पी० जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. श्री एस० गुरुमूर्ति	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
4. श्री एस०एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. श्री एन०एस० सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट लि०
6. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
7. श्री जी० कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8. श्री एम० एस० वर्मा	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9. श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि०
10. श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

योजना की विशेषताओं का विवरण नीचे दिया गया है :

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरंभ :

(i) यह योजना संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 1998) कही जाएगी।

(ii) यह 23 मार्च, 1998 को आरंभ होगी।

(iii) यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 1 जून, 1998 से 31 मई, 2003 तक होगी।

(vi) यूनिटों की बिक्री 23 मार्च, 1998 से 06 मई, 1998 तक 45 दिनों के लिए होगी। बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा यूनिट ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

II. परिभाषाएं :

इस योजना में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन-पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है।

(2) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है।

(3) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र है और योजना के खण्ड IV के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(4) "पात्र ट्रस्ट" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई ट्रस्ट है।

(5) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के वे अर्थ होंगे जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए हैं लेकिन "भागीदार" अभिव्यक्ति में ऐसा व्यक्ति भी शामिल होगा जिसे अवयस्क होने के कारण भागीदारी के लाभों हेतु शामिल किया गया है।

(6) "सूचीबद्ध" का अर्थ एनएसई के थोक ऋण खंड पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(7) "जारी यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की संख्या है।

(8) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र ट्रस्ट शामिल है।

(9) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(10) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(11) इस योजना से सम्बन्धित "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(12) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(13) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम/विनियमावली में दिए गए हैं।

III. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

IV. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है :

(i) धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों सहित सभी पात्र न्यास।

(ii) समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां।

(iii) अन्य कोई निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित या स्थापित या उसके अधीन हो।

(iv) सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड।

(v) अन्य कोई संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों सहित)।

(vi) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम।

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं शहरी सहकारी बैंक।

(viii) अन्य वाणिज्यिक बैंक।

(ix) भागीदारी फर्में।

(2) साझीदारी फर्मों के आवेदन अधिक-से-अधिक तीन सदस्यों द्वारा दिया जाएगा एवं ट्रस्ट सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए पहले नामित व्यक्ति को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा।

(3) आवेदन ऐसे फार्म में किया जाएगा जैसा यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(4) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय, भागीदारी फर्म या समितियां यथाअपेक्षा ट्रस्ट को वे सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी जिनसे आवेदक की यूनिटों में निवेश करने की सक्षमता का पता चलता हो, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, भागीदारी फर्मों की ओर से आवेदन करने पर भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति, उपनियम आदि, यूनिटों में निवेश का अधिकार देने व प्रबंध निकाय के संकल्प की प्राधिकृत प्रति आदि और समुचित मुख्तारनामे की प्रति।

V. न्यूनतम निवेश राशि :

योजना के अन्तर्गत न्यूनतम निवेश दस लाख रुपये है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 10 रुपये के गुणकों में न होने वाले निवेशों के लिये यूनिटों का आबंटन भिन्नों को में दशमलव के बाद तीन स्थान तक किया जायेगा।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पी ए एन/जी आई आर संख्या हो तो उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें।

VI. भुगतान विधि :

1. (i) आवेदक द्वारा सभी भुगतान आवेदन-पत्र के साथ चैक या ड्राफ्ट द्वारा (बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक

द्वारा ही वहन किया जाएगा) किए जाएंगे, चैक या ड्राफ्ट वसूल करने की लागत भी इसमें शामिल होगी। चेक या ड्राफ्ट उसी शहर के बैंकों की शाखाओं पर आहरित होने चाहिये जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय हो और उस कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ii) यदि भुगतान चैक द्वारा किया गया हो तो स्वकृति तिथि ट्रस्ट द्वारा चैक की राशि वसूल किये जाने की तिथि होगी। यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी, बशर्ते ऐसे ड्राफ्ट की राशि की वसूली हो जाए, परन्तु ट्रस्ट को आवेदन-पत्र ड्राफ्ट जारी करने के 7 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए, अदा की गयी राशि योजना के अंतर्गत न्यूनतम देय राशि और अन्य देय प्रभार को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, आवेदक को उसके खर्च पर वापस की जाएगी।

2. (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार : योजना के अन्तर्गत यूनिट जारी करने के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार करने और / या अस्वीकार करने का एक मात्र स्वविवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में ट्रस्ट, यूनिटें जारी करने का आवेदन अस्वीकृत कर सकता है यदि

1. दस लाख की न्यूनतम रकम से कम निवेश के साथ आवेदन प्राप्त हो।
2. प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा आवेदन हस्ताक्षरित न हुए हों, और
3. आवेदक की योजना में निवेश करने की पात्रता न हो।

योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के सम्बन्ध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्तीकरण के भागी होंगे : यदि आवेदन-पत्र अपूर्ण पाया जाए तो उसे रद्द किया जा सकेगा और ट्रस्ट यथाशीघ्र बिना किसी देयता के चाहे वह ब्याज के लिये हो या अन्य कोई राशि हो, आवेदन राशि वापस कर देगा। आवश्यक परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताओं का अनुपालन किये जाने के बाद राशि वापस की जाएगी।

3. यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अन्तर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा : योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को सन्तुष्ट करना होगा और निवेशक वर्ग के अनुसार ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी जैसे ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर न्यास विलेख, यूनिट खरीदने के लिए प्रबंध निकाय का संकल्प, समितियों द्वारा आवेदन करने पर उपनियम और प्रबंध समिति का संकल्प आदि एवं भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन करने पर भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति आदि ट्रस्ट की संतुष्टि के अनुरूप ऐसी अपेक्षाओं का पालन करना या न करना ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर होगा।

कोई संस्था गलत घोषणा कर यूनिट रखेगी तो वह सदस्यता निरस्त किए जाने की भागी होगी और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह 25% जुर्माने के तौर पर घटाकर यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर या ऐसे मूल्य पर कर लें जो ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए और गलती से किए गए आय वितरण के भुगतान की वसूली पुनर्खरीद राशि से कर लें और शेष राशि वापस कर दें।

इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में जितना भी समय लगे।

VII. न्यूनतम लक्ष्य राशि जुटाना :

इस योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली राशि का लक्ष्य 200 करोड़ रुपये होगा। अधिकतम लक्ष्य राशि 1000 करोड़ रुपये है। रु० 1000 करोड़ से अधिक का अत्यभिदान सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम 1996 के विनियम 35 के तहत वापस की जाएगी। यदि कथित लक्ष्यित रु० 200 करोड़ राशि का अभिदान नहीं होता है तो ट्रस्ट आदाता के खाता में चेक प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अंतर्गत संग्रहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से छः सप्ताह या उसके पहले वापस करेगा।

उक्त अनुबंध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में योजना के अंतर्गत बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

VIII. खर्चों पर सीमा :

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 3.5% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय का शीर्षक	%
मुद्रण और डाक	0.75
प्रचार	0.75
विपणन व्यय	1.00
स्टाम्प शुल्क	0.50
संसाधन प्रभार	0.50
योग	3.50

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किये गये प्रत्येक रुपये का करीब 96.5 पैसा इस योजना में निवेश किया जाएगा।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य का 2% से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय का शीर्षक	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
लेखा परीक्षा शुल्क न्यासियों के शुल्क एवं व्यय, दलाली एवं लेनदेन की लागत आदि	0.25
योग	2.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित है और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी सेबी (म्यूचअल फण्ड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरम्भिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 3.5% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 2% की सीमा के भीतर ही होगा।

योजना का कुल आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा :

(i) औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के पहले 400 करोड़ रुपये पर —2.00%

(ii) औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ रुपये पर—1.75%

(iii) आस्तियों के शेष पर —1.50%

'प्रशासनिक व्यय', 'विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान' और 'स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान' शीर्षक के अंतर्गत व्यय निम्नलिखित के अधीन होंगे : (i) जब तक शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए को पार नहीं करती हैं, योजना के प्रत्येक लेखा वर्ष में बाकी साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों के एक एवं एक चतुर्थांश प्रतिशत, (ii) 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का एक प्रतिशत, जहां ऐसी परिकलित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक हों। सेबी (म्यूचअल फंड) विनियम, 1996 में बताए अनुसार, यू०टी०आई० कोई निवेश प्रबंध एवं सलाहकार शुल्क नहीं लगाता है।

हालांकि, यू०टी०आई० सुनिश्चित करेगा कि आरंभिक निर्गम व्यय और वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत बनाई गई सीमाओं के भीतर रहें।

XI. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। यूनिट ट्रस्ट उसके बाद निवेश की गई राशि के लिए यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो-जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या गलत डिलीवरी या डिलीवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय के नाम पर ही होगा।

यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र को यथाशीघ्र लेकिन योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से छः सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा।

X. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(i) (1) योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 31 मई, 2001 तक यूनिटों की कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर बट्टे पर होगा। बट्टा 5% से अधिक नहीं होगा। पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा 1 जून, 2001 से प्रत्येक सप्ताह में एक बार की जाएगी। यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का मोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा। समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एन० ए० वी० पर आधारित होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति दी जाएगी बशर्ते न्यूनतम शेष के रूप में इस बाबत रुपये (अंकित मूल्य) कायम रखे।

(ii) यूनिटधारक को यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी जैसा कि ऊपर उप-खण्ड 1(i) में बताया गया है और वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार उसका धारण कर सकते हैं।

इस संबंध में कृपया खंड XI भी पढ़ें।

(2) पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त मानी जाएगी।

(3) पुनर्खरीद, यथोचित भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र के प्राप्त होने के बाद प्रभावी होगी। पुनर्खरीद राशि का प्रेषण, ट्रस्ट के मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय से, जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित होते हैं, आवेदन-पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन

उचित हो) इस प्रकार किया जाएगा जैसा आवेदक ने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किया हो। किसी भी स्थिति में, आवेदक को देय राशी पर, कोई ब्याज नही दिया जाएगा और डिस्प्रेषण लागत (डाक खर्च सहित) अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चेक, अथवा ड्राफ्ट की वसूली का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया

XI. यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना के किसी भी उपबंध मे अंतर्विष्ट किसी बात बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की खरीद या पुनर्खरीद के लिए बाध्य होगा--

(i) ऐसे दिन, जो-कार्य-दिवस नही हों; और

(ii) ऐसी अवधि में जब ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित किसी कारण से ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) यूनिट धारकों की पंजी बन्द हो ।

स्पष्टीकरण : इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो (i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप मे परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 अंतर्गत अधिसूचित हो या (ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

XII. बिक्री या पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को होगी :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रत्येक बिक्री और पुनर्खरीद तिथि के अनुसार उस दिन को प्रचलित मूल्य पर होगी ।

XIII. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए साप्ताहिक आधार पर जारी करेगा।

XIV. सूचीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें, योजना के शुरू होने की तिथी से छः माह के भीतर एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध की जाएगी । सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार एनएसई में सूचीबद्ध कराने हेतु आवेदन किया जाएगा ।

XV. योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशो सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार के अंतिम मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि मे बिल्कुल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है।

(2) उधृत डिबेंचरों एवं बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है, उसे ब्याज तत्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है ।

(3) अनोधृत/गैर-व्यापारिक इक्विटी शेयरो का मूल्याकन प्राप्तियों के पूंजीकरण एवं बही-मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10% घटाकर किया जाता है ।

(4) अनोधृत डिबेंचरो, बाण्ड और अंतरणीय नोट लिखत के दर-निर्धारण पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते है ।

(5) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरो की बाजार दर पर, लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रयोगिक मूल्य को कम करके, लिए जाते हैं । जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक मूल्य ज्यादा हो, वहा वारंटो का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, सम्बन्धित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्त्व, यदि हो, के लिए बट्टा काट कर बाजार दर पर किया जाता है । ऐसे डिबेंचरो एवं बाण्डो का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया गया हो, किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हो, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(7) मांग मुद्रा पुनर्बट्टा योजना के अन्तर्गत खरीदे गए बिल एवं बैंकों के पास अल्पकालीन जमाओं में निवेश का मूल्यांकन लागत और प्रोद्भवन पर किया जाएगा; अन्य मुद्रा बाजार लिखतो का मूल्यांकन प्रतिफल पर किया जाएगा जिस पर उनका वर्तमान में सौदा होता है। इस प्रयोजन हेतु गैर व्यापारिक लिखतें अर्थात् वह लिखत जिसका सात दिन की अवधि में कोई सौदा नही हुआ हो, का मूल्यांकन लागत और दिन के प्रारंभ मे उपचित ब्याज और प्रतिदान मूल्य एवं लिखत के बचे हुए परिपक्वता अवधि के दौरान एक समान बढ़े हुए मूल्य के मध्य अंतर पर किया जाएगा ।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्याकन, प्रचलित ब्याज दरो पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाई० टी० एम०) आधार पर किया जाएगा ।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशो के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है ।

XVI. शुद्ध आस्ति मूल्य (एन०ए०वी०) का परिकलन और प्रकटीकरण

योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधो को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एन० ए० वी० को उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। यह एन०ए०वी० (पूर्ववर्ती आधार पर) योजना के आरंभ होने से 6 महीनों के भीतर और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

XVII. (क) निवेश उद्देश्य :

योजना के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का अधिक से अधिक 20% इक्विटी और इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में और शेष का नियत आय वाले प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा। नियत आय प्रतिभूतियों का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा। इक्विटी निवेशों का जोखिम तत्व उच्च होगा।

मुद्रा बाजार लिखतों के लिए सामान्यतः कोई सुनिश्चित आवंटन नहीं किया जाएगा। मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश न्यूनतम रखा जाएगा ताकि योजना की तरलता सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

ट्रस्ट सुरक्षा के ख्याल से अल्प अवधि हेतु आस्तियों के आबंटन में परिवर्तन का विकल्प रखता है।

उपरोक्त निवेश उद्देश्य के अनुसार प्रतिभूतियों में योजना की निधियों का निवेश लम्बित रहने पर ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पावधि जमाओं में कर सकता है।

(ख) निवेश नितियां

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी श्रेणी निर्धारण करने वाली एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मण्डल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

(iii) इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में निवेश का अन्तरण केवल तभी किया जाएगा जब :

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अन्तरण स्पॉट आधार पर किए गए हों। स्पष्टीकरण "स्पॉट आधार" का तात्पर्य सौदों के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट अर्थ है।

(ख) ऐसी अन्तरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अन्तरण किए जाते हैं।

(ग) प्लान के असूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अन्तरण यूटीआई के न्यासी मण्डल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फण्ड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिबन्धित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो।

(v) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में सम्बन्धित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं लाएगा जिससे उसे सट्टेबाजी बिक्री करनी पड़े या खरीद का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना या बदला में लिप्त होना पड़े।

(vi) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अन्तरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(vii) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या यूनिटधारकों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी। परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

(viii) योजना सेबी की स्टॉक उधार देने की योजना के अनुसरण में प्रतिभूतियों को उधार देने पर विचार कर सकती है।

(ix) योजना इनमें कोई निवेश नहीं करेगी ;

(क) ट्रस्ट के समूह या सहायक कम्पनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति; या

(ख) ट्रस्ट के समूह या सहायक कम्पनी द्वारा निजी नियोजन के रूप में जारी की गई कोई प्रतिभूति, या

(ग) ट्रस्ट के समूह कम्पनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के आस्तियों के 25% से अधिक है।

प्लान की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारा तय की गई नीतियों के अनुसार और सीमाओं के अधीन हो। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। यह एक उच्च तकनीकी कम्पनी है, जो निवेशकों की आवश्यकता के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करती है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है।

तथापि, ऊपर खण्ड XV, XVI और XVII (ख) के सम्बन्ध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अन्तराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी के (एम एफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा।

XVIII. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म :

यूनिट प्रमाणपत्र ऐसे फार्म में होगा जैसा कार्यपालक निदेशक द्वारा निश्चित किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तथा यूनिटधारक का नाम होगा।

XIX. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि :

जैसा कोई समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया जाएगा। जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र इस बात के होते हुए भी वैध और बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो। परन्तु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाणपत्र जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, प्रमाणपत्र जारी होने के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सबसे उचित समझता है, प्रमाण पत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होगा।

XX. प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार हकदार व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसमें यूनिटों की वही संख्या हो जो कट-फट गए, घिस-पिट गए या विरूपित हो गए प्रमाणपत्र में हो। यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी होने या नष्ट होने के मामले में, यूनिट ट्रस्ट अपने विवेकाधिकार पर, उसके बदले में हकदार व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही—

(i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, फटा पुराना हो जाने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य यूनिट ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं किये हों,

(ii) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कर दिया हो;

(iii) (कट-फट जाने या फटा-पुराना हो जाने या विरूपित होने के मामले में) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो, तथा;

(iv) यूनिट ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति प्रस्तुत नहीं कर दी हो। इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार यूनिट ट्रस्ट सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई देयता नहीं उठाएगा।

(2) इस खण्ड के उपबंधानुसार प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा कर सकता है कि आवेदक यूनिट प्रमाणपत्र के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्गत प्रति यूनिट प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ, जो ट्रस्ट की राय में कर और ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय डाक पंजीकरण, प्रभार सहित अन्य खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, का भुगतान करे।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अन्तर्गत यूनिटधारक ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेगा और ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करेगा जैसा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित/अपेक्षित होगा।

XXI. यूनिट धारकों की पंजी :

यूनिट धारकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों की पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :

(क) यूनिट धारकों के नाम और पते;

(ख) हरेक ऐसे यूनिट धारकों द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) वह तिथि जिसको ऐसा धारक पहली बार यूनिटों का धारक हो गया।

(2) यूनिटधारक की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य समय के दौरान (यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण को अनुमति दी जाएगी) यूनिटधारक के नि:शुल्क तथा उसके अपने निवेश के संबंध में निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) यूनिट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी। परन्तु किसी भी वर्ष में वह 45 दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। यूनिट ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी सूचना देगा।

(5) यूनिट धारक के सिवाय किसी व्यक्ति के किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना और कोई ग्रहणाधिकार पंजी में दर्ज नहीं किया जाएगा।

XXII. यूनिट धारक द्वारा रसीद—ट्रस्ट के प्रति उन्मोचन :

यूनिट धारक द्वारा प्रदत्त राशि के लिए जारी यूनिट प्रमाणपत्र के यूनिटों के संबंध में उसके द्वारा दी गयी रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा।

XXIII. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन :

निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन के लिए अनुमति दी जाएगी :

(1) प्रत्येक यूनिट धारक को उसके द्वारा धारित यूनिटों अथवा कुछ यूनिटों का अंतरण करने का हक होगा और वह ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म पर लिखित रूप में लिखित द्वारा किया जाएगा। परन्तु यदि ऐसे पंजीकरण से अंतरणकर्ता या अंतरिती ऐसे यूनिटों के धारक बनते हैं जहां योजना में निवेश दस लाख रुपये (अंकित मूल्य) से कम है तो अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह केवल खण्ड IV में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य को अंतरण नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरण की प्रत्येक लिखित अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अंतरणकर्ता उस समय तक अंतरित यूनिट धारक होगा जब तक कि रजिस्टर में अंतरिती के नाम की प्रविष्टि नहीं हो जाती।

(3) अंतरण की प्रत्येक लिखत संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ यूनिट ट्रस्ट की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(4) अंतरण की प्रत्येक लिखित विधिवत रूप से स्टाम्प की जाएगी (यदि विधि के अंतर्गत स्टाम्प करना आवश्यक हो) और उसे ट्रस्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों के साथ दिया जाएगा और अंतरणकर्ता के हक के संबंध में अथवा यूनिटों का अंतरण करने के उसके अधिकार या प्रमाणपत्रों के संबंध में ट्रस्ट जैसा साक्ष्य चाहेगा, उसे भी प्रस्तुत करना होगा। ट्रस्ट ऐसे यूनिट प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में छूट दे सकता है जो खो गए हों, चुरा लिए गए हों अथवा नष्ट हो गए हों। इसके लिए अंतरणकर्ता को उन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो उनके स्थान पर जारी करने हेतु उसके द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पन्न हुई होंगी।

(5) यदि अंतरिती विधि के परिचालन से या आधिकारिक क्षमता के कारण यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण, जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझे, के अधीन ट्रस्ट अंतरण को लागू करेगा।

(6) जब यूनिट आधिकारिक नाम से जारी किए जाते हैं तो वे कार्यालय के प्रत्येक धारक से कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी धारक के नाम बिना किसी अंतरण लिखत के अंतरित माने जाएंगे, और यह अंतरण उस तिथि को या उस तिथि से होगा जब दूसरा धारक कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करता है।

(7) जब कार्यालय का धारक इस प्रकार से धारित यूनिटों का अंतरण ऐसे व्यक्ति के नाम करता है जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी न हो, तो अंतरण लिखित द्वारा अंतरण किया जाएगा, जो कार्यालय के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर कार्यालय का नाम होगा।

(8) अंतरण के सभी लिखत, जो पंजीकृत हो सकते हैं, ट्रस्ट द्वारा प्रक्रिया संबंधी और परिचालन गत आवश्यकताओं के पूरी करने तक रखे जाएंगे।

(9) ट्रस्ट अंतरिती संबंधी ब्यौरों को यूनिट प्रमाणपत्र के पीछे इस प्रयोजन के लिए दी गयी जगह पर पृष्ठांकन करेगा।

(10) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अंतरण का पंजीकरण करेगा और अंतरिती को प्रमाणपत्र और अंतरण संबंधी लिखित वापस करेगा।

XXIV. आवेदन और अंतरण फार्म पर अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर :

यदि मुख्तारनामा पहले से ही ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं हो और यदि किसी आवेदन पत्र या अंतरण पत्र पर मुख्तारनामा रखनेवाला कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर करे तो मूल मुख्तारनामा या उसकी, विधिवत् नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र या अंतरण पत्र के साथ जैसा भी मामला हो प्रस्तुत करनी चाहिए।

XXV. आय वितरण की दर :

ट्रस्ट सभी पांच वर्षों के लिए 13.50% प्र० व० की दर पर आश्वासित भुगतान करने का प्रस्ताव रखता है। आश्वासित भुगतान के मामले में कमी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति विए विकास प्रारक्षित निधि से की जाएगी। पहले वर्ष के लिए आय की गणना स्वीकृत तिथि पर निर्भर करते हुए दैनिक आधार पर की जाएगी और उसे जुलाई, 1998 में अदा किया जाएगा। उसके बाद के वर्षों के लिए आय वितरण प्रति वर्ष जुलाई मे अदा किया जाएगा और शेष अवधि 1 जुलाई 2002 से 31 मई, 2003 तक का आय वितरण मई, 2003 में अदा किया जाएगा।

XXVI. यूनिटधारकों को भुगतान :

(1) ट्रस्ट योजना के सभी पांच वर्षों के लिए 13.5% प्र० व० की दर पर आय अदा करेगा। पहले वर्ष के लिए लाभांश जुलाई 1998 में समानुपातिक आधार पर देय होगा। उसके बाद के वर्षों के लिए आय प्रति वर्ष जुलाई में अदा की जाएगी। और जुलाई 2002 से मई 2003 तक की शेष अवधि के लिए आय मई 2003 में अदा की जाएगी। आय वितरण वारंटों को, जिस वर्ष मे आय देय हो, उसके समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

कम मार्केटिंग तथा सेवा प्रभार और निवेश उद्देश्य और योजना की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें प्लान की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना सभी पांच वर्षों के लिए 13.50% की दर से आश्वासित प्रतिलाभ अदा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर सकेगी।

योजना के अंतर्गत 13.50% प्र० व० की दर पर प्रतिलाभ का औचित्य :

मान लीजिए योजना मे 100 करोड़ रुपये एकत्रित होते है। आरंभिक व्यय 0.50% है और वे तीन वर्ष की अवधि के दौरान अपलिखित किए जाते हैं (क्योंकि पुनर्खरीद तीन वर्ष पश्चात् शुरू होती है)। पहले वर्ष में उपलब्ध निवेश योग्य निधि 99.5 करोड़ रु० होगा।

फंड ऋण और मुद्रा बाजार लिखतों में 80% एवं इक्विट में 20% निवेश करेगी।

योजना ऐसे डिबेंचर बाण्ड में निवेश करेगी जिसका जोखिम तत्व न्यून से मध्यम हो। इन लिखतों के वाई० टी० एम० 14.75% से 16.50% की सीमा में है। इसका अर्थ है कि ऋण लिखतों की औसत भारित आय 15.36% होगी।

लाभांश प्रतिफल, वृद्धि/ह्रास एवं अर्जित मुनाफा के जरिए इक्विट पर वार्षिक प्राप्ति लगभग 15% होगी।

लिखतें	पोर्टफोलियो का प्रतिशत	निवेश योग्य निधि	प्रतिफल %
1	2	3	4
डिबेंचर	80	79.60	15.36
इक्विटी	20	19.90	15.00

पोर्टफोलियो पर औसत भारित आय =

79.60* =15.21% 15.36+ 19.90*15

100.00

वार्षिक व्यय एवं प्रावधान का 0.75% लेते हुए, वितरण के लिए प्राप्त आय 14.46% होगी। वार्षिक दर के अनुसार यह 13.50% प्र० व० की आश्वासित भुगतान के लिए पर्याप्त होगी।

उपर्युक्त उदाहरणस्वरूप है तथा योजना के प्रारंभ होने के समय बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है।

(2) यूनिटों के संबंध में जिसका वह धारक है, ट्रस्ट द्वारा घोषित कोई आय प्राप्त कर धारण करना यूनिट धारक के लिए वैध होगा, भले ही उसके द्वारा किसी अंतरिती हेतु यूनिट अंतरित कर दिए गए हों तथापि जब तक अंतरिती जो अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय के देय होने के 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज, जो प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य रूप से उसके नाम में पंजीकृत करने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे जाएं, उन्हें प्रस्तुत नहीं कर देगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-खण्ड में निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित मामलों में विस्तारित की जाएगी :

(i) अंतरण विलेख के चोरी होने या अंतरकर्ता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति के या अन्य किसी कारण से खो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरा प्राप्त करने में व्यतीत हुई वास्तविक अवधि के लिए और

(ii) कोई प्रमाण पत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब और अन्तरण के सम्बन्ध में अन्य दस्तावेजों को डाक द्वारा देरी से पहुंचने के सम्बन्ध में हुए विलम्ब को वास्तविक अवधि के लिए।

(3) इसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद ऐसी यूनिटों के सम्बन्ध में, जिसका वह धारक है, यूनिटधारक को इस लेख या आय

का भुगतान करने का ट्रस्ट का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(4) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। तथापि, ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रारक्षित निधि पर निर्भर करते हुए और उचित परिस्थितियों के होने पर यूनिटधारक द्वारा आय के किसी विलम्ब पर किए दावे पर जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उस रूप में और रीति से यूनिट धारक को मुआवजा देगा।

(5) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली आय चेक यूनिट ट्रस्ट के बैंकरों के नाम आहरित वारंट या यूनिट धारक के विकल्प पर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा की जाएगी। उक्त बैंक ड्राफ्ट के प्रभार यूनिट-धारक द्वारा वहन किए जाएंगे।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। यूनिटधारक कथित बैंक में अपने खाते में जमा करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक सम्बन्धी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट यूनिट-धारक के नाम जारी किए जाएंगे।

आय वितरण वारंट/पुनर्खरीद चेक/परिपक्वता चेक के कपटपूर्ण नकदीकरण को रोकने के लिए निवेशकों के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर बैंक का विवरण दें।

XXVII. आय वितरण का और यूनिटों में पुनर्निवेश :

यूनिटों के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद यूनिटधारक को यूनिटों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली आय को और यूनिटों में पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में, वितरित की जाने वाली पूर्ण आय खण्ड XXVII में दी गई रीति से यूनिटधारक को अदा करने जाने के बजाय, कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, यूनिट ट्रस्ट द्वारा उसी वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में प्रचलित एन ए वी आधारित मूल्य पर किसी बिक्री भार के बिना और यूनिटों में पुनर्निवेशित की जाएगी। वितरण योग्य लाभांश, कर कटौती, यदि कोई हो, और उनके बदले आवंटित यूनिटों के ब्यौरे सहित एक विवरणी यूनिटधारक को भेजी जाएगी। इस तरह आवंटित यूनिटों के सम्बन्ध में किसी भी यूनिटधारक को यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करने का हक नहीं होगा। यूनिटधारक जिसने पूर्वोक्तानुसार पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुना हो, उसके द्वारा लिखित आवेदन तथा अन्तिम जारी विवरणी को अभ्यर्पित करने पर पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करने वाले खण्ड की शर्तों के अनुसार उसे उक्त समय पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की अनुमति दी जा सकती है। जिन यूनिटधारकों ने पुनर्निवेशित यूनिटों की पुनर्खरीद की हो, वे उत्तरवर्ती वर्षों के लिए वितरण योग्य आय के सम्बन्ध में पुनर्निवेश सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उस खण्ड के अन्तर्गत पुनर्निवेश सुविधा के अधीन आबंटित यूनिट न्यूनतम धारण, पुनर्खरीद और अन्य मामलों के संदर्भ में नियंत्रित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे।

XXVIII. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

आश्वासित प्रतिफल वाली योजनाओं सहित जारी की गई योजनाओं की निवेश योग्य निधियों के 12175 करोड़ रुपए की तुलना में 30 नवम्बर, 1997 को विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) का परिणाम 575 करोड़ रुपए है। आई० आई० एस० एफ यू० एस० ·98 एवं अन्य ऐसी आश्वासित प्रतिफल वाली योजनाओं में हुई कमी को पूरा करने हेतु डीआरएफ का परिणाम पर्याप्त है। आश्वासित प्रतिफल वाली योजनाओं का ब्यौरा पृष्ठ 1621 पर दिया गया है।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से सम्बन्धित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा सम्बन्धित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबन्धन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण सम्बन्धी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास सम्बन्धी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में आश्वासित प्रतिलाभ की दर में कमी होने की दशा में भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है।

XXIX. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10 % कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

XXX. योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और किसी विपरीत नोटिस से या न्यास निष्पादन के नोटिस से उस बात को छोड़कर जैसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि इस योजना से सम्बन्धित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए, बाध्य नहीं होगा ।

XXXI. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट जितनी जल्दी हो सके, किन्तु प्रत्येक वर्ष 30 जून, से 6 महीने के भीतर, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान योजना के कार्यों को दर्शाते हुए विज्ञापन द्वारा लेखों का प्रकाशन करेगा । ट्रस्ट से अर्ध-वार्षिक अवसान अर्थात् 31 दिसम्बर से दो महीनों की समाप्ति से पहले गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन करेगा । ट्रस्ट सेबी और अन्यों को विधिवत् रूप से लेखा परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखों तथा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार-चढ़ाव का तिमाही विवरण और पिछली अवधियों में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो और इसलिए उन्हें सूचित किया जाना आवश्यक हो ।

ट्रस्ट, यूनिटधारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

XXXII. योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन संशोधन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा । जब योजना की मूल विशेषताएं या शुल्क या प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए कम से कम तीन चौथाई यूनिटधारकों की सहमति ली जानी चाहिए

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचन करने की अनुमति हो।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है योजना का प्रकार, निवेश उद्देश्य और योजना की शर्तें ।

XXXIII. योजना की समाप्ति :

(क) योजना पूर्ण रूप से 31 मई 2003 को समाप्त हो जाएगी । यूनिटधारकों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और यूनिटधारक को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अन्तिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट लिखित रूप में सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में यूनिटधारकों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरम्भ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

योजना की अवधि में 5 वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी विनियम 33 के उप-विनियम 4 के अनुसार होगी । उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार है :
नियत कालिक अवधि वाली योजना परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर पूर्णतः उन्मोचित होगी ।

बशर्ते नियत-कालिक योजना को रोल ओवर हेतु अनुमति दी जाएगी यदि रोल ओवर हेतु प्रयोजन, अवधि एवं अन्य शर्तें और रोल-ओवर से तुरंत पहले आस्तियों के समाविष्ट संयोजन सहित योजना के अन्य महत्त्वपूर्ण ब्यौरे, योजना की शुद्ध आस्तियों एवं शुद्ध आस्ति मूल्य से यूनिटधारकों को सूचित किया जाएगा और इसकी एक प्रति सेबी को भेजी जाएगी ।

बशर्ते इसके आगे, ऐसे रोल ओवर की अनुमति केवल ऐसे यूनिटधारकों के मामले में दी जाएगी जिन्होंने अपनी सहमति लिखित में दी हो एवं ऐसे यूनिटधारक जिन्होंने रोल ओवर का विकल्प नहीं दिया है या लिखित सहमति नहीं दी है, उन्हें शुद्ध आस्ति मूल्य आधारित मूल्य पर अपनी पूर्ण धारिताओं का मोचन करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(i) योजना के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 31 मई, 2003 को अथवा आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(ii) कोई ऐसी घटना घटित होने पर और जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(iii) योजना के 75% यूनिटधारक द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(iv) यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ख) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने की परिस्थितियों की सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में समापन प्रभावी होने के एक सप्ताह पहले देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट--

(i) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रिया-कलाप नहीं करेगा ।

(ii) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को निर्मित और रद्द करना बंद करेगा ।

(iii) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (i) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(ii) ऊपर दिए गए उप खण्ड (च) (i) के अनुसार की गई बिक्री की राशि का सर्वप्रथम, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त की गई, योजना की समाप्ति के पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए किया गया व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियां और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र होगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए तब तक लागू रहेंगे जब तक कि समाप्ति पूरी नहीं हो जाती या योजना बन्द नहीं हो जाती ।

(झ) खण्ड XXXIII (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र विधिवत् रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

XXXIV. यूनिटधारकों को लाभ :

योजना की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिटधारकों को प्राप्त होंगे जो योजना की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

XXXV. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

XXXVI. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है। ऐसी कोई ढील खण्ड **XXXII** के विपरीत तथा विभेदक नहीं होगी तथा सभी यूनिटधारकों पर समान रूप से लागू होगी।

पेशकश दस्तावेज के प्रावधान में कोई भी परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद एवं विनियमों की शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा।

XXXVII. योजना का यूनिटधारकों के लिए बाध्यकारी होना :

इस योजना की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किए/गए संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिटधारक और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो।

प्लान के सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा :

(i) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, या

(ii) प्लान के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो,

(iii) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए, या

(iv) जब कोई परिवर्तन योजना के खण्ड **XXXII** में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और देय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए।

यूनिटधारकों के अधिकार :

1. योजना के अधीन यूनिटधारक को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है।

2. यूनिटधारक को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा यूनिटधारक को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. यूनिटधारक को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

4. आय की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिटधारक आय वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार हैं।

5. "यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन" पर खण्ड **XXIII** में दी गई शर्तों के अधीन, ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण संबंधी विलेख वापस करेगा।

6. यूनिट धारकों को ट्रस्ट के मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन के भीतर पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्ति के प्रेषित किए जाने का अधिकार होगा (बशर्ते आवेदन पत्र सही हो)।

7. यूनिट धारकों को यह अधिकार होगा कि योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर उनको यूनिट प्रमाणपत्र प्रेषित किए जाएं।

कर मार्गदर्शक

कर छूट

प्रचलित आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन मामलों में जहां पर निवेश करने वाली संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

(i) धर्मार्थ और धर्मादा न्यास

धर्मार्थ और धर्मादा न्यास की आय किसी भी वर्ष में आयकर से पूरी तरह मुक्त होगी यदि जिस वर्ष आय अर्जित की गई हो उसी वर्ष उसका 75% ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया हो (आयकर अधिनियम की धारा 11)। इस प्रकार धर्मार्थ और मर्यादा न्यास वर्ष की आय का 25% को भविष्य के वर्षों में धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए अलग रख सकते हैं और आय कर से बच सकते हैं। यदि इस प्रकार अलग रखी गई आय उस वर्ष की आय के 25% से अधिक हो तो उस पर आयकर लगेगा। ऐसी अधिक आय, आय कर से मुक्त होगी, यदि उसका आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) (ख) में उल्लिखित "स्वीकृत प्रतिभूतियों" में निवेश किया गया हो। यू टी आई के यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक हैं। कोई धर्मार्थ और धर्मादा न्यास जो कि अपनी अतिरिक्त निधियों का यूनिटों में निवेश करता है, आयकर से छूट के योग्य होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत कर में छूट के लिये योग्य एक शर्त यह है कि ट्रस्ट के धन और अन्य निधि का स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिये।

यू० टी०आई की यूनिटें स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है।

(ii) धारा 23 एए में दर्शायी गई कोई भी संगठित निधि अन्य संस्थाएं : ये प्रचलित कर विधि के अनुसरण में होगी।

स्त्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10 (22 ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23एए) या 10(23सी) के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त को छोड़कर अन्य संस्थाओं के मामले में स्रोत पर कर कटौती प्रचलित कर विधि के अनुसार होगी।

धन कर वित्तीय आस्तियां जैसे शेयर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फण्डों के यूनिट धन कर देयता से मुक्त हैं।

टिप्पणी : वित्तीय निगमों जैसे आईडीबीआई और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम और धन कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ/छूट, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें संचालित करने वाले विशेष अधिनियमों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में संचालित होगी।

इस योजना के अन्तर्गत निवेश में से होने वाले कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिये गये निर्देशों के अधीन होगा।

धारा 54 ईए के अन्तर्गत पूंजी अभिलाभ कर छूट :

दीर्घवधि पूंजीगत आस्तियों के अन्तरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का आई० आई० एस० एफयूएस, 98 में किया गया निवेश, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट के लिये पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अन्तरण/गिरवी आवेदन की स्वीकृति पर तीन वर्षों बाद ही की/किया/रखा जाए।

आयकर/धनकर/उपहार कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, से संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम के अनुरूप होगा।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुबई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फण्डों/प्लानों की सभी सम्पत्तियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा सम्बन्धी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिये सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिये, सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं/रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फण्डों/प्लानों से सम्बन्धित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस के कपूर एण्ड कं०, 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मैसर्स चतुर्वेदी एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता-700069। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

निवेशकों की शिकायतें

01-03-97 से 28-02-98 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	837	779	58	6.93
सीजीजीएफ	6538	6235	303	4.63%
सीजीएस-83	356	267	89	25.00
सीजीयूएस-91	2870	2831	39	1.36

1	2	3	4	5
सी आई टी एस	261	240	21	8.05%
डी आई पी–91	3529	3503	26	0.74%
डी आई यू पी–93	506	497	9	1.78%
डी आर यू पी–95	1439	1437	2	0.14%
डी आई यू एस–90	1745	1734	11	0.63%
डी आई यू एस–91	1877	1845	32	1.70%
डी आई यू एस–92	2165	2139	26	1.20%
ई ओ एफ	575	568	7	1.22%
जी सी सी आई	23801	23769	32	0.13%
जी एम आई एस–91	7526	7404	122	1.62%
जी एम आई एस–92	9747	9490	257	2.64%
जी एम आई एस–92 (II)	1146	930	216	18.85%
जी एम आई एस बी–92	1558	1428	130	8.34%
जी एम आई एस बी–92 (II)	2101	2020	81	3.86%
ग्रैंड मास्टर–93	1323	1308	15	1.13%
जी यू पी	1582	1482	100	6.32%
एच यू एस	363	315	48	13.22%
आई आई एस एफ यू एस	5	3	2	40.00
आई ई एफ–97	85	70	15	17.65
मास्टरगेन–92	123071	122160	911	0.74
मास्टर ग्रोथ–93	8726	8639	87	1.00
मास्टर प्लस–91	13315	12833	482	3.62
मास्टर शेयर–86	24687	23226	1461	5.92
एम पी ई–91	4418	4359	59	1.34
एम ई पी–92	22636	22269	367	1.62
एम ई पी–93	56876	56406	470	0.83
एम ई पी–94	58062	57567	495	0.85
एम ई पी–95	4926	4864	62	1.26
एम ई पी–96	1780	1756	24	1.35%
एम ई पी–97	1337	1277	60	4.49%
एम ई पी–98	2	2	0	0.00%
एम आई पी –93	1617	1567	50	3.09
एम आई पी–94 (I)	2242	2202	40	1.78%
एम आई पी–94 (II)	1928	1911	17	0.88%
एम आई पी–94 (III)	5812	5766	46	0.79
एम आई पी–95	4893	4860	33	0.67
एम आई पी–95 (II)	4089	4065	24	0.59%
एम० आई पी–95 (III)	4172	4153	19	0.46%
एम आई पी–96	3672	3641	31	0.84
एम आई पी–96 (II)	3345	3303	42	1.26%
एम आई पी –96(III)	3961	3905	56	1.41%
एम आई पी –96 (IV)	18200	17933	267	1.47%
एम आई पी–97	9819	9586	233	2.37
एम आई पी–97 (II)	8558	8341	217	2.54%
एम आई पी–97 (III)	3442	3348	94	2.73%

1	2	3	4	5
एम आई पी–97 (IV)	480	386	94	19.58%
एम आई पी–97 (V)	5	5	0	0.00%
एम आई एस बी–93	3708	3638	70	1.89
एम आई एस जी–90 (I)	6600	6154	446	6.76%
एम आई एस जी–90 (II)	3377	3055	322	9.45%
एम आई एस जी–91	1440	1401	39	2.71
ओमनी लान	91	82	9	9.89%
पी ई एफ	1709	1646	63	3.69%
राज लक्ष्मी यूनिट प्लान	3246	3106	140	4.31%
आर बी पी	2749	2609	140	5.09%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1336	1303	33	2.47%
यू जी एस–2000	8904	8242	662	7.43
यू जी एस–5000	4095	3894	201	4.91
यूलिप	12092	10860	1232	10.19%
यू एस–64	85478	81334	4144	4.85%
यू एस–92	6790	6639	151	2.22%
यू एस–95	2	2	0	0.00%
कुल	609623	594589	15034	2.47%

शिकायतें लम्बित रहने के कारण :

(1) संग्रहणकर्त्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलम्ब ।

(6) अन्तरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

शिकायतों/आपत्तियों के प्रकार के अनुसार ट्रस्ट निवेशक/बैंक/रजिस्ट्रार को उक्त का निवारण करने हेतु लिखता है।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बन्धित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिम अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट,
निवेशक संपर्क कक्ष,
कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र, जी० डी० सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुम्बई–400005
टेली : 218 0172/218 1600

पूर्वी आंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट,
निवेशक संपर्क कक्ष, 2, फेयरली प्लेस,
2री मंजिल, कलकत्ता– 700001
टेली : 243 4581

दक्षिणी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट,
निवेशक संपर्क कक्ष,
यू टी आई हाउस, 29 राजाजी सालै,
चैन्नई–600 001
टेली : 517101 विस्तारित : 360/364

उत्तरी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष,
हयात्त हाउस, 2 री मंजिल,
5 ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

टेली : 332 9860

रजिस्ट्रार

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात सेवायें ट्रस्ट के मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय द्वारा कामर्स सेन्टर 1, 29 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड कोलावा मुम्बई–400005 पर प्रदान की जायेगी। ट्रस्ट के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाण-पत्रों को प्रेषित करने, बिक्री पश्चात् सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर निपटाने और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये पर्याप्त क्षमता है।

निरीक्षण के लिये उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिये केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एस०एन०डी०टी० महिला विश्वविद्यालय पेसमेंट, द्वार नं० 1 सर विट्ठल दास ठाकरसी मार्ग मुम्बई–400020 में उपलब्ध किया जायेगा।

*यू० टी० आई० अधिनियम

*समान्य विनियम

*अभिरक्षक के साथ किया गया करार

*आई० आई० एस० एफ० यू० एस० 98 के पेशकश दस्तावेज की प्रति

यू टी आई की पिछली संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना का ब्यौरा

योजनायें	आईआईएसएफयूएस '93	आईआईएसएफयू एस '95	आई आई एस एफ यू एस '96	आई आईएसएफ यू एस '97	आई आई एस एफ यू एस '97 (ii)
प्रारम्भ होने की तारीख	01–03–1993	01–01–1995	01–01–1997	01–07–1997	01–02–1993
समापन की तिथि	01–04–1998	30–09–2000	31–12–2001	30–06–2002	31–01–2003
आय वितरण	16% प्र० व० (अर्ध वार्षिक)	15% प्र० व० पहले तीन वर्ष के लिये (अर्ध वार्षिक)	16% प्र० व० पहले वर्ष के लिये (अर्ध वार्षिक)	15% प्र० व० सम्पूर्ण पांच वर्ष के लिये (वार्षिक)	12.75% प्र० व० संपूर्ण पांच वर्ष के लिये (वार्षिक)
संग्रहीत राशि (करोड़ रुपये में)	1276.87	177.70	186.26	675.36	670.73*
आवेदन पत्रों की संख्या	518	292	248	324	311*

*25.02.98 के अनुसार

पूर्ववर्ती आंकड़े

पूर्ववर्ती आंकड़े	1993–94	1994–95	1995–96		1996–97			
	आई०आई० एस०एफ० '93	आई०आई० एस०एफ० '93	आई०आई० एस०एफ० '93	आई०आई० एस०एफ० '95	आई०आई० एस०एफ० '93	आई०आई० एस०एफ० '95	आई०आई० एस०एफ० '96	आई०आई० एस०एफ० '97
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.42	10.22	10.15	11.00	9.88	10.59	11.09	10.14
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त :								
(i) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.11	1.27	1.51	1.33	1.08	1.52	0.79	0.12
(ii) विवेश के अंतर योजना विक्रय/ अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.46	0.36	0.01	0.06	0.14	0.11	0.26	0.00
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.03	0.16	0.02	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00
(iv)	पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट	—	—	0.07	—	0.18	0.28	—	—
(ग)	कुल व्यय अपलिखित. परिशोधन एवं भार, प्रति यूनिट	0.06	0.01	0.01	0.05	0.01	0.06	0.03	0.00
(घ)	शुद्ध आय, प्रति यूनिट	1.55	1.71	1.61	1.42	1.49	1.86	1.01	0.12
(ङ)	निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्य वृद्धि/ मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	0.03	−0.21	−0.11	0.73	−0.20	0.24	1.03	0.25
(छ)	बाजार मूल्य								
	उच्चतम	—	—	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	न्यूनतम	—	—	—	—				
	पुनर्खरीद मूल्य								
	उच्चतम	—	—	10.50	—	10.40	11.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	न्यूनतम	—	—	10.22	—	9.60	10.05		
	बिक्री मूल्य								
	उच्चतम	—	—	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	न्यूनतम	—	—	—	—				
	लाभ उपार्जन अनुपात								
(ज)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.58%	0.09%	0.10%	0.45%	0.10%	0.56%	0.27%	0.01%
(झ)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परंतु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते हुए)	18.33%	16.67%	15.21%	19.55%	11.27%	17.37%	17.61%	7.18%
(च)	प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.42	10.22	10.15	11.00	9.88	10.59	11.09	10.14

आश्वासित प्रतिफल वाली योजनाओं के सम्बन्ध में ब्यौरे

(रु० करोड़ में)

योजना	31-12-97 को निवेश योग्य निधियों$
I. 1-7-94 से पहले आरंभ की गई योजनाएं	
सीजीजीएफ	2,921.01
एमआईएसजी 90 पूल	
एमआईएसजी 90 (I)	
एमआईएसजी 90 (II)	
एमआईएसजी 91	
	1,587.57@
आईआईएसएफयूएस 93	864.54
एमआईएसबी 93 पूल	
एमआईएमबी 93	
एमआईपी 93	
	1,392.55@
एमआईपी 94	377.30
एमआईपी 94 (II)	504.44
II. 1-7-94 के बाद आरंभ की गई योजनाएं	
एमआईपी 97 (I)	1,120.85
एमआईपी 97 (II)	1,368.83
एमआईपी 97 (III)	602.59
एमआईपी 97 (IV)	908.25
आईआईएसएफयूएस 97	497.08
आईईएफ	30.00
	12,175.01

@समग्र रूप से पूल के लिए

$अस्थाई

शामिल होने की तिथि पर निर्भर रहते हुए 1-11-97 से 16-1-98 को समाप्त की गई।

सेबी को समुचित अध्यवसाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत

यह पुष्टि की जाती है कि :

I. पेशकश दस्तावेज का प्रारूप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार हैं ;

II. पेशकश दस्तावेज में प्रस्तुत की गई जानकारियां सही, उचित एवं पर्याप्त हैं ताकि निवेशक प्रस्तुत योजना में निवेश के सम्बन्ध से सही सूचना प्राप्त निर्णय लेने के योग्य हो सकें ;

III. पेशकश दस्तावेज में नामित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं एवं ऐसा पंजीकरण आज की तिथि में वैध है ।

दिनांक : 5-2-1998 हस्ताक्षर : ह/-

नाम : बी० एस० पंडित

स्थान : मुंबई अनुपालन अधिकारी

मोहर

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग

मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : वाणिज्य केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व-व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005, दूर-ध्वनि : 2181600. पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391 दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101, उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860 ।

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 6423043. बड़ौदा : मेघदूत, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481. भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308. इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796. मुम्बई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी', गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400049, दूरध्वनि : 6201995. मुंबई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400703, दूर-ध्वनि : 7672607. मुंबई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020, दूरध्वनि : 2850821. मुम्बई : (4) सुधा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, दूरध्वनि : 8020521. मुंबई : (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256. कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001. दूरध्वनि : 657315. नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893. नासिक : शारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 572166. पणजी : ई.डी.सी. हाउस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूर-ध्वनि : 222472. पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005. दूरध्वनि : 325954. राजकोट : ललुभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112. सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550. ठाणे : यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)-400601, दूरध्वनि : 5400905 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओमीएकसी बिल्डिंग, पहली और दूसरी मंजिल, 24, जनपथ खारबेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001, दूरध्वनि : 110995. कलकत्ता : 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391. दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 546136. गुवाहटी : हिन्दुस्तान बिल्डिंग, पहली मंजिल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781001. दूरध्वनि : 543131. जमशेदपुर : 1-ए, राममंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिष्टुपुर, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि : 425508. पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001, दूरध्वनि : 235001. सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 424671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26-27, 12वीं मंजिल, पश्चिमी स्कन्ध, एम जी मार्ग, बंगलोर-560001, दूरध्वनि : 5595691. कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम 682011, दूरध्वनि : 362354. कोयम्बत्तूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बत्तूर-641018, दूरध्वनि : 214973. हुबली : कालबर्गी मेन्शन, 4थी मंजिल, नेमिगटन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि : 363963. हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, टैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500195, दूरध्वनि : 511095. चेन्नई : ए. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई चेन्नई-600001 दूरध्वनि : 517101. मदुरई : शिवकाशी सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुपरनकुन्दरम रोड, मदुरई-625001 दूरध्वनि : 38186. मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258 तिरुवनन्तपुरम : स्वास्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुवनंतपुरम-695001, दूरध्वनि : 331415. त्रिची : 104, सलाई रोड, थोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620003, दूरध्वनि : 760060. त्रिचूर : 28/700, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नार्थ, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि, 331259. विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002, दूरध्वनि : 74434. विशाखापट्टनम : रहेजा आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530016, दूरध्वनि : 548121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002, दूरध्वनि, 54408. इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003, दूरध्वनि : 400521. अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143001. दूरध्वनि : 210367. चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017, दूरध्वनि : 703683. देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, रायपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि : 746720. फरीदाबाद : डी-614-617, नेहरू ग्राउंड, एन आई टी, फरीदाबाद-121001, दूरध्वनि : 219156. गाजियाबाद : 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गाजियाबाद-201001, दूरध्वनि : 790366. जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001, दूरध्वनि : 165212. कानपुर : 16/79ई, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001, दूरध्वनि : 317278. लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि : 23891. लुधियाना : सूर्यकिरण फेस-2, 92, दि माल, लुधियाना-141001, दूरध्वनि : 441264, नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 दूरध्वनि : 3318638. शिमला : फ्लैट नं. 401, 402, 403, 405 महेश अपार्टमेन्ट्स, सिंगास्क एस्टेट, होटल हॉलीडे के समीप, शिमला-171002, दूरध्वनि : 257803. वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि : 358606.

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION,

CENTRAL OFFICE,

HUDCO VISHALA, 14 BHIKAJI CAMA PLACE,

New Delhi-110 066, the 28th April 1998

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/33.—WHEREAS the employers of te establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the GROUP Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Sction (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Tamil Nadu from the operationo of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Worth Industries . . . . . 205/1, Nainamandabam, Pondicherry-605004.	PC/283	01-01-93 to 31-12-95	DLI/14/(286)97
2.	M/s. Vijayeswari Textiles Ltd. . . . Puliampatti, Via Pollachi-2 Coimbatore Distt. Tamil Nadu.	TN/1097	01-09-96 to 31-08-99	DLI/14(270)97
3.	M/s. Trich Steel Rolling Mills Ltd. . . . Senthannipuram, Tiruchirapalli-620004.	TN/45—84	01-02-87 to 31-01-90 & 01-02-90 to 31-01-93 and 01-02-93 to 31-01-96	DLI/14(299)97
4.	M/s. Sartha's . . . . . 32, N.S.B. Road, Trichy-620002.	TN/7689	01-03-90 to 29-02-92 (Switched over to EDLI Scheme from 1-3-92)	DLI/14/(290) 97/TN
5.	M/s. Sri Kumaran Bus Service . 20, V.O.C. Nagar, Thanjavur-613007.	TN/10747	01-03-89 to 29-02-96 (Switched over to EDLI Scheme, 76 from 1-3-96)	DLI/14(298)97
6.	M/s. Indo Shell Ltd. . . . . A-9, Sidco Industrial Estate, Coimbatore-2.	TN/10896	01-03-91 to 28-02-94 & 01-03-94 to 28-02-97	DLI/14/(303)/97
7.	M/s. Elgi Finance Ltd. . . . . India House, Trichy Road, Coimbatore-18. alongwith its branches.	TN/21291	01-10-89 to 30-09-92 and 1-10-92 to 30-09-95	DLI/14(302)97
8.	M/s. Jeevan Salvent Extracts (P) Ltd. . Royapanur, Guddalore Main Road, Melanariyappanur-606215.	TN/22753	01-03-89 to 29-02-91 (Switched over to EDLI Scheme 76 from 1-3-91)	DLI/14(170)97
9.	M/s. Vijay Tyres . . . . . 8/6-2, Tanjore Road, Trichy-8.	TN/22891	01-03-91 to 28-02-94 & 01-03-94 to 28-02-97	DLI/14/(171)97
10.	M/s. Periyor Maniammai College of Technology to Women, Periyar Nagar, Vallam, Thanjavur-613403.	TN/27964	01-07-96 to 30-06-99	DLI/14/(306) 97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/49.—WHEREAS The employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Tamilnadu from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C's. File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Narayan Krishna Synthetics (P) Ltd. 6, Sakthi Co-op. Industrial Estate, Elayamuthur Road, Udamalpet-642126.	TN/21559	01-11-93 to 31-10-96	DLI/14(241)97
2.	M/s. Pioneer Engineering Industries No. 2, Madras Bye Pass Road, Subramaniapuram, Tiruchirapalli-620020.	TN/TR/27035	01-03-89 to 28-02-93 (The estt. has Switched over to EDLI Scheme from 1-3-93 onward)	DLI/14(284)97

1	2	3	4	5
3.	M/s. Sakthi Soyas . . . . . 180, Race Course Road, Coimbatore-641018.	TN/28086	01-03-96 to 28-02-99	DLI/14(239)97
4.	M/s. Lakshmi Machine Works . . . Arasur, Coimbatore-641407.	TN/28301	01-07-95 to 30-06-98	DLI/14(238)97
5.	M/s. Sakthi Sugars Ltd. . . . . 180, Race Course Road, P. B. No. 3775, Coimbatore-641018.	TN/28400	01-10-95 to 30-09-98	DLI/14(240)97
6.	M/s. Ariyalur Milk Producers Co-op. Society Ltd. Ariyalur Post, Ariyalur Taluk, Trichy, District-621704.	TN/6805	01-03-89 to 29-02-92 & 01-03-92 to 28-02-95 & 01-03-95 to 28-02-98	DLI/14(296)/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the sailent features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

The 27th April, 1998

UT/DBDM/SPD-89-D/R-III/97-98—The Offer Document of Institutional Investors'Special Fund Unit Scheme 1998 formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963) approved in the Executive Committee Meeting held on 27th January 1998 is published herebelow.

A.G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

INSTITUTIONAL INVESTORS' SPECIAL FUND UNIT SCHEME 1998 (IISFUS '98) OFFER DOCUMENT OFFER OPEN FROM 23RD MARCH 1998 TO 6TH MAY 1998

This unit scheme has been formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) by the Board of Trustees of UTI.

The scheme particulars have been prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, and the units offered for subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

OBJECTIVE OF THE SCHEME

This is a five year close ended income oriented scheme which allows exit after three years at NAV based price. The scheme is for institutional investors who want to invest large amounts in an exclusive scheme.

HIGHLIGHTS

*Minimum investment is Rupees Ten Lakhs with no maximum limit. Face value of units is Rs. 10/-.

*Open to eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts, Societies registered under Societies Registration Act, 1860, Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act, Army/Air Force/Navy/Paramilitary Fund. Any other institution/Corporate Body (including companies)/Public Sector Undertakings, Regional Rural Banks, Urban Co-operative banks and Other Commercial Banks/ Partnership Firms.

*The Trust shall pay an assured income of 13.50% p.a. payable annually for all the five years of the scheme. In the event of any short all in meeting the assured return the same will be met out of the Development Reserve Fund.

*Option for re-investment of income at the prevailing NAV (without any sales load).

*The units of the scheme shall be listed on wholesale debt segment of NSE within six months from the date of commencement of the scheme.

*Repurchase allowed after three years from the date of commencement of the scheme i.e. from 1st June 2001 at NAV based price.

*It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.

*Capital gains tax exemption under section 54 EA of the Income Tax Act, 1961.

RISK FACTORS

*There is no guarantee that capital will be protected for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.

*Investments in units of the scheme are subject to market risks and the NAV of the scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the schemes portfolio.

*Performance of the previous schemes/plans of the Trust is not necessarily an indication of future results.

*Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1998 is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the scheme.

MANAGEMENT'S PERCEPTION OF RISK FACTORS

The Trust has been in operation for over 33 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,000 crores from over 50 million investors. UTI has never failed to meet the return assured in the previou assured return schemes. UTI is satisfied about the sufficiency of resources available to meet such assured return in future.

CONSTITUTION OF UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

MANAGEMENT OF UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trusttes with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. The Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1. Shri G.P. Gupta	Chairman, Unit Trust of India
2. Dr. P.J. Nayak	Executive Trustee, Unit Trust of India

3. Shri S. Gurumurthy	Executive Director, Reserve Bank of India
4. Shri S.H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of India
5. Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Shri P.R. Khanna	Chartered Accountant
7. Shri G. Krishnamurthy	Chairman, L.I.C.
8. Shri M.S. Verma	Chairman S.B.I.
9. Shri N. Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri Rashid Jilani	Chairman & Managing Director, Punjab National Bank

THE DETAILED FEATURES OF THE SCHEME ARE AS GIVEN BELOW:

I. Short title and commencement:

(i) This Scheme shall be called the Institutional In vestors' Special Fund Unit Scheme 1998 (IIS FUS 98).

(ii) It shall come into force on the 23rd March 1998.

(iii) The scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st June 1998 to 31st May 2003.

(iv) Units will be on sale from 23rd March 1998 to 06th May 1998 for 45 days. Provided, however the Executive Committee of Board of Trustees of the Trust/Chairman m y suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions:

In the Scheme, unless the context otherwise requires:—

(1) "Acceptance date" with reference to an applica tion made by an applicant to the Unit Trust for repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(2) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 52 of 1963);

(3) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and who makes an application under Clause IV of the scheme.

(4) "Eligible Trust" means a Trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(5) "Firm", "partner" and partnership" have the mean ings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.

(6) "Listed" means the listing of units issued unde the scheme for the purpose of trading on the whole sale debt segment of NSE.

(7) "Number of units in issue" means the number of units sold and outstanding.

(8) "Person" shall include an eligible trust as defined above.

(9) "Regulations" means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(10) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(11) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees Ten in the unit capital pertaining to this Scheme;

(12) "Unit Trust" or 'Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(13) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/ Regulations.

III. Face value of each unit;

The face value of each unit shall be ten rupees.

IV. Applicaton for units :

(1) Applications for units under this Scheme may be made by:

(i) All Eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts.

(ii) Societies registeed under 'Societies Registration Act, 19860.

(iii) Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act.

(iv) Army/Air rorce/Navy/Paramilitary Fund.

(v) Any other Institution/Corporate body (including companies).

(vi) Public Sector Undertakings.

(vii) Regional Rural Banks and Urban Co-operative banks.

(viii) Other Commercial banks.

(ix) Partnership Firms.

(2) An applicaion by a partnership firms shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member.

(3) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Unit Trust.

(4) Eligible Institutions, bodies corporate, partnership firms or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memsorandum and Articles of Association, certified copy of partnership deed in care of application on behalf of partnership firms, Bye-laws etc. an auhtorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

V. Minimum amount of investment :

The minimum investment under the scheme is Rupees Ten lakhs with no maximum limit. For investments not in multiple of Rs. 10/-, units will be allotted in fractions upto three places after the decimal.

The investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle Office address if they are having so.

VI. Mode of Payment

1. (i) All payments shall be made by the applicant along with the application by way of draft (bank draft commission to be borne by the investor), cheque, inclusive of the cost of realisting the cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn only on branches of banks within the city where the branch Office of the Trust at which the application is tendered is situated.

(ii) If Payment is made by cheque, the acceptance date will be the date of realisation of the cheque. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust within 7 days from the date of Issue of the draft. If the amount tendered is not sufficient to cover the minimum amount payable under the scheme and other charges payable, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(a) Right of the Trust to accept or reject application; The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. The Trust shall reject an application for Issue of units in the following circumstances·

1. the application is received with less than the minimum investment of Rs. Ten lakhs.

2. the application has not been signed by the authorised signatories and

3. the applicant is not eligible to investment in the scheme.

Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

(b) Incomplete Application liable for rejection : In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities

3. Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units: Institutions applying for units under the scheme shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Bye-Laws, resolution by the Managing Committee etc. in case of application by societies and certified copy of partnership deed in case of application on behalf of partnership firms etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

An institution who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of unit holders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes in Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. Minimum Target Amount to be Raised

Amount of Rs. 200 crores is targeted to be raised under the scheme. The maximum target amount is Rs. 1000 crores. Oversubscription above Rs. 1000 crores will be refunded in terms of Regulation 35 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. The Trust shall by A/c payee cheque/refund order, refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme, the entire amount collected under the scheme, if the target amount of Rs. 200 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amount within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest @ 15% p.a. on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme.

VIII. Limitation on Expenses:

Initial issue expenses may not exceed 3.5% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme are estimated to be as under :—

Expense head	%
Printing and postage	0.75
Publicity	0.75
Marketing expenses	1.00
Stamp fees	0.50
Processing charges	0.50
TOTAL	3.50

Thus for every rupee invested by an investor not less than 96.5 paise will be invested in the scheme.

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 2% of the average weekly

net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under:

Expense head	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Audit Fees, Fees & Expenses of Trustees, brokerage & Transaction cost etc.	0.25
Total	2.0

The above expenses are estimates and are subject to change inter-se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 3.5% of the funds collected for initial issue expenses and 2% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits;

(i) On the first Rs. 400 crores of the average weekly net assets—2.00%

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets—1.75%

(iii) On the balance of the assets—1.50%

Expenses under the head 'Administrative expenses', 'Contribution to DRF' and Contribution to the staff Welfare Trust' will be subject to the following namely: (i) One and a quarter of one percent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the Scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and (ii) One percent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores. UTI does not change any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

IX. Sale of Units:

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. The Unit Trust shall thereafter issue a Unit Certificate for the amount invested. The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

A unit certificate issued by the Unit Trust to a Trust/Society/Body Corporate shall be made out in the name of such Trust/Society/Body Corporate.

The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificate as soon as possible but not later than six weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

X. Repurchase of units:

(1) (i) There shall be no repurchase of units during the first three years of the scheme i.e. upto 31st May 2001. Repurchase price shall be at a discount not exceeding 5% to the historic weekly NAV. The repurchase price valid for Monday to Sunday of a week is based on the NAV of the previous Wednesday. The repurchase price shall be declared once every week commencing from 1st June 2001. It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.

Partial repurchase shall be allowed provided that the unitholder maintains a minimum balance of Rupees Ten Lakhs (face value).

(ii) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub-clause 1(i) above and it will be free to hold them as long as it desires during the currency of the Scheme.

Please also read clause XI in this regard.

(2) The contract or repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(3) Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate with the form of repurchase duly filled in. Repurchase proceeds shall be despatched within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the Mumbai Main Branch Office of the Trust where the repurchase request are processed and in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

XI. Restrictions on sale and repurchase of units:

Notwithstanding anything contained in any provision of this Scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units:

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Unit Trust) when the register of unitholders is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation: For the purposes of this Scheme, the term working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Unit Trust has its Offices; or (ii) notified by the Unit Trust in the Gazette of India as a day on which the Office of the Unit Trust will be closed.

XII. Sale or repurchase to be as on the acceptance date:-

Every sale or repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

XIII. Publication of repurchase price:

The Unit Trust shall, after the determination of the repurchase price, issue it to the press for publication on a weekly basis.

XIV. Listing:

The units issued under the scheme shall be listed on the whole sale debt segment of NSE within six months from the date of commencement of the scheme. An application for listing shall be made to NSE immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

XV. Valuation of assets pertaining to this Scheme ;

(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valxation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted non-traded equity shares are valued at the average of capitalisation of earning and the book value (break-up value) minus 10%.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In case where the exercise price is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued a yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost..

(7) Investments in call money, bills purchased under rediscounting scheme and short term deposits with banks shall be valued at cost plus accrual; other money market instruments shall be valued at the yield at which they are currently traded. For this purpose, non-traded instruments that is instruments not traded for a period of seven days will be valued at cost plus interest accrued till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of the instruments.

(8) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

(9) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

XVI. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV):

The Net Asset Value of the units issued under the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and substracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication within six months from the commencement of the scheme and on a weekly basis thereafter.

XVII(a). Investment Objectives:

Not more than 20% of the funds mobilised under the Scheme will be invested in equities and equity based instruments and the remaining in fixed income securities and money market instruments. Risk profile of fixed income securities will be low to medium. Risk profile of equity investments could be high.

No fixed allocation will normally be made for Money Market instruments. Investment in Money Market instruments will be kept to the minimum so as to be able to meet the liquidity needs of the scheme.

The Trust retains the option to alter the asset allocation for a short term period on defensive consideration.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time:

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Transfers of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if-

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis. Explanation- "spot basis" shall have the same meaning as specified by stock exchange for spot transactions.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another scheme/plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate inter scheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

(v) the Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the unitholders. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net assets of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

(viii) The scheme may consider to lend securities in accordance with the stock lending scheme of SEBI.

(ix) The scheme shall not make any investment in;

(a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

(b) any security issued by way of private placemnt by an associate or group company of the Trust; or

(c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all the schemes of the Trust.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair, transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

However, notwithstanding anything contained in respect of clauses XV, XVI and XVII(b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

XVIII. Form of Unit Certificate :

Unit Certificates shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder.

XIX. Manner of preparation of Unit Certificate :

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust. Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XX. Procedure when the Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have—

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Unit Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover any charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Unit Certificate.

Notwithstanding the above, the unitholder under the scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XXI. Register of unitholders :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders:—

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Unit Trust and there shall be entered in the register inter alia:

(a) the names and addresses of the unitholders;

(b) the number of units held by every such unitholder; and

(c) the date on which such unitholder became the holder of the units standing in its name.

(2) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Unit Trust may impose but so that no less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any authorised representative of the unitholder, without charge and in connection with their own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Unit Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Unit Trust shall give notice of such closure by advertisement in news papers or other media.

(5) No Notice of any trust express, implied or constructive, and no lien shall be entered in the register in respect of any unit relating to any person other than the unitholder.

XXII. Receipt by unit holder to discharge Unit Trust :

The receipt of the unit holder for any moneys paid to it in respect of the units represented by the Unit Certificate shall be a good discharge to the Unit Trust.

XXIII. Transfer/Pledge/Assignment of units :

Tranfer/pledge/assignment shall be allowed subject to the following terms:

(1) Every unitholder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by it by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registraton thereof would result in the transferor or the transferee having an investment of less than Rupees Ten Lakhs (face value) in the Scheme.

Provided that no transfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in Clause IV.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

(3) Transfer instruments with the unit certificate shall be lodged with any of the branches of Unit Trust.

(4) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the Unit Certificate and such other evidence as the Unit Trust may require in support of the title of the transferor or its right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any Unit Certificate which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(5) If a transferee becomes a holder of unit in an official capacity or by operation of low then the Trust shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(6) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes change of the office.

(7) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfer shall be made by an intrument of transfer signed by the holder of the office and in the name of the office.

(8) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust for such period as may be necessary keeping in view procedural and operational requirements.

(9) The Trust shall endorse the details of the transferee on the reverse of the Unit Certificate in the space provided for the purpose.

(10) Subject to the provisions conatined hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

XXIV. Application and transfer forms signed by attorneys :

If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted alongwith the application of the transfer form, as the case may be unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.

XXV. Rate of income distribution :

The Trust proposes to pay an assured return of 13.50% p.a. for all the five years of the scheme. In the event of any shortfall in meeting the assured return the same shall be met out of Development Reserve Funds. The income for the first year will be calculated on a day to day basis depending on the date of acceptance and paid in July 1998. The income distribution for the subsequent years will be paid in July each year and for the balance period from 1st July 2002 to 31st May 2003 the income distribution will be paid in May 2003.

XXVI. Payment to unitholders :

(1) The Trust shall pay income @13.5 % p.a. for all the five years of the scheme. For the first year income is payable on a prorata basis in July 1998. The income for the subsequent years will be paid in July each year and for the balance period from July 2002 to May 2003 it will be paid in May 2003. Income distribution warrants will be despatched within 42 days of closure of the year for which it is due.

Based on low marketing and servicing costs and the investment objective and policies of the Scheme as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would generate sufficient returns to pay the assured return of 13.50% for all the five years of the scheme.

Justification for the return of 13.50% p. a. under the scheme :

Assume the scheme collects Rs. 100 crores. The initial expenses are 0.5% and are written off over a period of 3 years (this is because repurchase opens after 3 years). The investible funds available in the first year would be Rs. 99.5 crores.

The fund will invest 80% in debt and MMI instruments and 20% in equity.

The scheme will invest in debentures/bonds with its profile low to medium. The YTM on these instruments are in the range of 14.75% to 16.50% This means the weighted average yield on debt instruments would be 15.36%.

The annualised return on equity by way of dividend yield, appreciation/depreciation and profits booked would be around 15 %.

Insturments	% of Portfolio	Investment Funds	Return %
Debentures	80	79.60	15.36
Equity	20	19.90	15.00

Weighted average yield on Portfolio=

$$\frac{79.60 * 15.36 + 19.90 * 15}{100.00} = 15.21\%$$

Taking annual expenses and provisions as 0.75%, the income available for distribution would be 14.46%. This would be sufficient to pay income @13.50 % p.a. payable annually.

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the scheme.

(2) It shall be lawfull for a unitholder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which it is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by it for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due. lodged the Certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions or otherwise be required by the Trust, for being registered in its name.

Explanation : The spetiod pecified in this sub-clause shall be extended :—

(i) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

(ii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall affect the right of the Trust to pay to the unitholder any income which has become due, in respect of units of which,it is such a holder.

(4) No interest shall be payable by he Trust on such income distributable among the unit holders. However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed calim of income by the unitholder.

(5) The income distributable among the unitholders shall be paid by cheque or warrant drawn on the Unit Trust's bankers, or, at the option of the unitholder, by a bank draft, the charges for such bank draft being borned by the unitholder.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature and number of account name of bank) at the appropriate space in application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Unitholders may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the unitholder.

In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/Repurchase cheques/ Maturity cheques investors are advised, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form'

XXVII. Reinvestment of income distribution in further units :

The unitholder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect of the units so held in further units. In the event of an exercise of such and option the whole of the income distributable instead of being paid to the unitholder in the manner provided in Clause XXVI hereof shall, after deduction of tax, if any, be reinvested in further units at NAV (without sales load) prevailing in the first week of July. A statement detailing the income distributable, tax deducted, if any, and the units allotted in lieu thereof shall be forwarded to the unitholder. No unitholder shall be entitled to call for the issue of a Unit Certificate in respect of the units so allotted. A unitholder who has opted for the reinvestment facility as aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued be permitted to have the units to its credit repurchased at the repurchase price prevailing then. A unitholder who has repurchased the reinvested units may continue to avail of the reinvestment facility in respect of the income distributable for the subsequent years. The units allotted under the reinvestment facility under his clause are not subject to the conditions and stiupulations governing the parent units in respect of the minimum holding, repurchase and other matters.

XXVIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.25% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The quantum of DRF as on 30th November 1997 is Rs. 575 crores as against the investible funds of Rs. 12175 crores of schemes laucned with the assured returns. The size of DRF is considered adequate to meat shortfall of IISFUS-98 and other such assured return a schemes. The details of assured return schemes are given on page 18.

The unit Trust insituted this fund the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional and developmental work not related to or linked with any particulars scheme itself-. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research Management & Professional Training. Surveys and Market Research for the Trust. Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

XXIX. Staff Welfare Trust Contribution :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust year.

The Staff Welfare Trust was instituted by the Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

XXX. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme

The person who is registered as the Unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

XXXI. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be but not later than six months from the 30th June of each year publish through an advertisement, accounts in the manner specified by SEBI showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall before the expiry of two months from the close of the half year that is on 31st December, publish its unaudited financial results. The Trust shall furnish to the SEBI and others concerned copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movement in NAV and a quarterly portfolio statement including change from the previous periods, The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XXXII. Additions and Amendments to the Schemes :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amenddment / addition there of will be notified in rhe Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained. When any change in the fudamental attributes of the schemes or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unitholders is proposed to be carried out the consent of not less than three fourths of unitholders shall be obtained.

Provided that no such change shall be carried out unless three fourths of the unitholders have given their consent and the unitholders who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes" means the type of the scheme, investment objective and terms of the scheme.

XXXIII. Termination of the Scheme :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 31st May 2003, the outstanding units of the unitholders

shall be repurchased and the unitholdres shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of income distribution for any the subsequent period shall accure. However the Trust reserves the right, with the prior approval of SEBI in writing, to extend the scheme beyond five years. In such an event the unitholder will be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to automatically convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

The extension of the period of the scheme beyond 5 years shall be in conformity with sub regulation 4 of regulation 33. The provisions of the sub regulation are :

A close ended scheme shall be fully redeemed at the end of the maturity period.

Provided that a close ended scheme may be allowed to be rolled over if the purpose, period and other terms of the roll over and all other material details of the scheme including the likely composition of assets immediately before the roll over, the net assets and net asset value of the scheme, are disclosed to the unitholders and a copy of the same has been filed with SEBI.

Provided further, that such roll over will be permitted only in case of those unitholders who express their consent in writing and the unitholders who do not opt for the roll or have not given written consent shall be allowed to redeem their holdings in full at net assets value based price.

(b) The Trust may wind up the scheme under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 31st May 2003 or on the expiry of such date as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Schemes to be wound up, or

(iii) if 75% of the unitholders pass a resolution that the scheme be wound up or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Unitholders.

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the unit holders to consider and pass necessary re-solutions by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the Scheme in the best interset of the Unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the Unitholders in proportion to their respective interest in the assets the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders report on the winding up containing particulaars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets avaiabe for distribution to unitholders and a certificate from the auditors of the Scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XXXIII (g), it the SEBI is satisfied that all measures or winding up of the scheme have been completed, the Scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase vlaue as early as possible after the Unit Certificate along with the form of repurchase duly completed has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XXXIV. Benefies to the unitholders :

All benefits accruing under the scheme in respect of the capital reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme till its closure.

XXXV. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.

XXXVI. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme, relax any of the provisions of the Scheme. Any such relaxation would not be contradictory to clause XXXII and shall not be discriminatory and would apply to all unitholders on a uniform basis.

Any changes in the offer document shall be made only with prior approval of SEBI and in accordance with the terms of the regulations.

XXXVII. Scheme to be binding on Unitholders :

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each unitholder and every other person claiming through it as if he had expressly agreed that they should be so binding notwith standing anything contrary contained in the provisions of the Scheme.

Approval of unitholders of the scheme shall be sought in the following circumstances :

(i) Whenever required to do so by SEBI in the interest of the unitholders; or

(ii) Whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the unitholders of the scheme;

(iii) When the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units; or

(iv) When any change in the fundamental attributes detailed in clause XXXII of the scheme or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unitholders is proposed to be carried out unless the consent of not less than three-fourths of the unitholders is obtained.

Rights of unitholders :

1. Unitholders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income declared by the scheme.

2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders.

3. The Unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading Documents available for inspection".

4. The unitholders are entitled to have the income warrants despatched to them within 42 days of the closure of the year for which it is due.

5. Subject to conditions stated in Clause XXIII on "Transfer/Pledge/Assignment of units" the Trust shall register the transfer and return the unit Certificate to the Transferee within 30 days from the date of lodgement of the unit certificate together with the relevant instrument of transfer.

6. The unitholders have the right to have the repurchase/redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the Mumbai Main Branch Office of the Trust.

7. The unitholders have the right to have the unit certificate issued to them not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

TAX GUIDE

Tax Exemption

Under the present taxation laws in those cases where the investing institutions are :

(i) Charitable and Religious Trusts :

The income of Charitable and Religious Trust in any year is totally exempt from tax if atleast 75% of the Trust's income is spent towards any of the objectives of the Trust in the year in which it is earned (Section 11 of Income Tax Act). Thus a Charitable and Religious Trust can set apart upto 25% of a year's income for application to charitable and religious purposes in future years, without attracting income tax. If the income so set apart in a year is in excess of 25% of that year's income, such excess would attract income tax. However, such excess income will be exempt from income tax if it is invested in "approved securities" mentioned in Section 11(2)(b) of the Income Tax Act. Units of UTI are one of the approved securities. A Charitable and Religious Trust investing its "excess" funds in units qualifies for exempton from Income Tax.

In terms of Section 13 of the Income Tax Act, one of the conditions of eligibility for exemption under Section 11 of Income Tax Act is that the corpus and other funds of the Trust should be invested in approved securities. Units of UTI are one of the approved securities.

(ii) Any Regimental Fund referred to in Section 23AA/ Other Institutions : It will be in accordance with prevalent tax laws.

No deduction of Tax at source

No deduction of tax will be made for institutions which are covered under Section 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of Income Tax Act, 1961 on the basis of a simple declaration in the format provided in the application form.

In respect of Institutions other than above deduction of Income tax at source from the income will be in accordance with prevelent tax laws.

Wealth Tax : Financial Assets like shares and units of Unit Trust of India and Mutual Funds are excluded for the purpose of assessing wealth tax liability.

NOTE : In respect of Statutory Corporations viz. IDBI and similar other organisations,the tax benefits/exemptions under the Income Tax Act and Wealth Tax Act may be governed, inter alia, in accordance with the provisions of their Special Acts, if any, governing them.

Any long term capital gains arising out of investment in the scheme will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54 EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term assets in IISFUS '98 will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54 EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after three years from the date of acceptance of the application.

Disclosure regarding income tax/wealth tax/gift tax/capital gains tax are in conformity with the prevalent Income Tax Act.

Custodians

Stock Holding Corporation of India, situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on jannuary 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all properties belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodtans will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of nurmal custodian functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S.K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208001 and M/s Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta-700069. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Scheme Name	No. of complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
1	2	3	4	5
CCCF	837	779	58	6.93%
CGGF	6538	6235	303	4.63%
CGS-83	356	267	89	25.00%
CGUS-91	2870	2831	39	1.36%
CRTS	261	240	21	8.05%
DIP-91	3529	3503	26	0.74%
DIUP-93	506	497	9	1.78%
DIUP-95	1439	1437	2	0.14%
DIUS-90	1745	1734	11	0.63%
DIUS-91	1877	1845	32	1.70%
DIUS-92	2165	2139	26	1.20%
E.O.F.	575	568	7	1.22%
GCGI	23801	23769	32	0.13%
GMIS-91	7526	7404	122	1.62%
GMIS-92	9747	9490	257	2.64%
GMIS-92(II)	1146	930	216	18.85%
GMIS-B-92	1558	1428	130	8.34%
GMIS-B-92 (II)	2101	2020	81	3.86%
GRANDMASTER-93	1323	1308	15	1.13%

1	2	3	4	5
GRIHALAXMI	1582	1482	100	6.32%
UNIT PLAN				
HOUSING UNIT SCHEME	363	315	48	13.22%
IISFUS	5	3	2	40.00%
IEF-97	85	70	15	17.65%
MASTER GAIN-92	123071	122160	911	0.74%
MASTER GROWTH-93	8726	8639	87	1.00%
MASTERPLUS-91	13315	12833	482	3.62%
MASTERSHARE-86	24687	23226	1461	5.92%
MEP-91	4418	4359	59	1.34%
MEP-92	22636	22269	367	1.62%
MEP-93	56876	56406	470	0.83%
MEP-94	58062	57567	495	0.85%
MEP-95	4926	4864	62	1.26%
MEP-96	1780	1756	24	1.35%
MEP-97	1337	1277	60	4.49%
MEP-98	2	2	0	0.00%
MIP-93	1617	1567	50	3.09%
MIP-94(II)	2242	2202	40	1.78%
MIP-94 (II)	1928	1911	17	0.88%
MIP-94(III)	5812	5766	46	0.79%
MIP-95	4893	4860	33	0.67%
MIP-95(II)	4089	4065	24	0.59%
MIP-95 (III)	4172	4153	19	0.46%
MIP-96	3672	3641	31	0.84%
MIP-96 (II)	3345	3303	42	1.26%
MIP-96 (III)	3961	3905	56	1.41%
MIP-96 (IV)	18200	17933	267	1.47%
MIP-97	9819	9586	233	2.37%
MIP-97 (II)	8558	8341	217	2.54%
MIP-97 (III)	3442	3348	94	2.73%
MIP-97 (IV)	480	386	94	19.58%
MIP-97 (V)	5	5	0	0.00%
MIS-B-93	3708	3638	70	1.89%
MISG-90 (I)	6600	6154	446	6.76%
MISG-90 (II)	3377	3055	322	9.45%
MISG-91	1440	1401	39	2.71%
OMNI-PLAN	91	82	9	9.89%
PARIMARY EQUITY FUND	1709	1646	63	3.69%
RAJLAKSHMI UNIT PLAN	3246	3106	140	4.31%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	2749	2609	140	5.09%
SENIOR CITIZEN UNIT PLAN	1336	1303	33	2.47%
UGS-2000	8904	8242	662	7.43%
UGS-5000	4095	3894	201	4.91%
ULIP	12092	10860	1232	10.19%
US-64	85478	81334	4144	4.85%
US-92	6790	6639	151	2.22%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL	609623	594589	15034	2.47%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/ funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same.

All Investors could refer their grievance giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre, G.D. Somani Marg,
Cuffe Parade Mumbai-400005.
Tel : 218 0172/218 1600

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700001.
Tel : 243 4581

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai-600001.
Tel : 517101 Ext. 360/364

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd Floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.
Tel. : 332 9860

Registrars

The processing of applications and after sales services will be handled by the Mumbai Main Branch Office of the Trust at Commerce Centre-1, 29th Floor World Trade Centre, Cuffe Parad, Colaba, Mumbai-400 005. The Trust has adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates, handling of after sales services within the prescribed time frame and also handling of ivestor complaints.

Documents available for Inspection

The following documents will be available for inspection at the Central investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020.

- The UTI Act
- The General Regulations
- The agreement with the custodian
- Copy of Offer Document of IISFUS'98.

Details of Previous Institutional Investors' Special Fund Unit Schemes of UTI

SCHEMES	IISFUS-93	IISFUS-95	IISFUS-96	IISFUS-97	IISFUS-97(II)
Date of Commencement	01-03-1993	01-10-1995	01-01-1997	01-07-1997	01-02-1998
Date of termination	01-04-1998	30-09-2000	31-12-2001	30-06-2002	31-01-2003
Income distribution	16% p.a. (half-yearly)	15% p.a. for first three years. (half-yearly)	16% p.a. for the first year. (half-yearly)	15% p.a. for all five years. (annual)	12.75% p.a. for all five years. (annual)
Amount Collected (in crores)	1276.87	177.70	186.26	675.36	670.73*
No. of Applications	518	292	248	324	311*

as on 25-02-98

HISTORICAL DATA

Historical Statistics		1993-94	1994-95	1995-96		1996-97			
		IISF 83	IISF'93	IISF'93	IISF-95	IISF'93	IISF'95	IISF'95	IISF'97
(A)	Net Asset Value, per unit;	10.42	10.22	10.15	11.00	9.88	10.59	11.09	10.14
(B)	Gross income per unit broken up into								
	(i) Income other than profit on sale of investment, per unit;	1.11	1.27	1.51	1.33	1.08	1.52	0.79	0.12
	(ii) Income from profit on Inter scheme sales/transfer of investment, per unit;	0.46	0.36	0.01	0.06	0.14	0.11	0.26	0.00
	(iii) Income from profit on sale of investment to third pary, per unit;	0.03	0.10	0.02	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00
	(iv) Transfer to revenue account from past year s reserve per unit;	—	—	0.07		0.18	0.28	—	—
(C)	Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit;	0.06	0.01	0.01	0.05	0.01	0.06	0.03	0.00
(D)	Net income, per unit;	1.55	1.71	1.61	1.42	1.49	1.86	1.01	0.12
(E)	Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit;	0.03	—0.21	—0.11	0.73	—0.20	0.24	1.03	0.25
(F)	Market price :								
	Highest	—	—	—	—	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Lowest	—	—	—	—				
	Repurchase price								
	Highest	—	—	10.50	—	10.40	11.00	N.A.	N.A.
	Lowest	—	—	10.22	—	9.60	10.05		
	Sale Price								
	Highest	—	—	—	—	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Lowest	—	—	—	—				
	PE Ratio								
(G)	per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage;	0.58%	0.09%	0.10%	0.45%	0.10%	0.56%	0.27%	0.01%
(H)	Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excirding transfer to revenue account from past year s reserve but including unrealised appreciation on investment)	18.33%	16.67%	15.21%	19.55%	11.27	17.37	17.61	7.18
(I)	Per unit NAV	10.42	10.22	10.15	11.00	9.88	10.59	11.09	10.14

Details Regarding Assured Return Schemes

(Rs. in crs)

Scheme	Investible Funds as on 31-12-97$
1	2
I. SCHEMES LAUNCHED PRIOR TO 1-7-94	
CGGF	2,921.01
MISG 90 POOL	
MISG 90 (i)	
‡ MISG 90 (ii)	
MISG 91	
	1,587.57@
IISFUS 93	864.54
MISB 93 POOL	
MISB 93	
MIP 93	
MIP 94	377.30
MIP 94 (ii)	504.44
II. SCHEMES LAUNCHED AFTER 1.7.94	
MIP 97 (i)	1,120.85
MIP 97 (ii)	1,368.83
MIP 97 (iii)	602.59
MIP 97 (iv)	908.25
IISFUS 97	497.08
IEF	30.00
	12,175.01

@For the Pool as a whole

$Provisional

‡Terminated on 1-11-97 to 16-1-98 depending on date of joining.

Due Diligence Certificate submitted to SEBI

It is confirmed that

I. the draft offer document is in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time.

II. the disclosures made in the offer document are true, pair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding invstment in the proposed scheme;

III all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Date : 05/02/98 Signature : Sd/-

Name : B.S. Pandit

Place : Mubmai Compliance Officer

With seal

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020

ZONAL OFFICES

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. 218 1600.

Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahemedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad-380 009. Tel : 642 3043. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marge, Baroda-390 015. Tel : 332 481. Bhopal : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. Indore : City Centre, 2nd Flr., 570, M. G. Marg, Indore-452 001. Tel. : 22796. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Gulmohar Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7-672607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamshedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821. (4) Shraddha Shopping Arcade. 1st Flr., S. V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel. : 802 0521. (5) Sagar Bononza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel. : 657 315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893, Nasik : Sarda Sankul, 2nd Flr., M. G. Marg, Nasik-422 001. Tel. : 572166. Panaji : E.D.O. House, Ground Flr., Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa, 403 001, Tel : 222 472, Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivajt Nagar, Pune-411 005, Tel. : 325 954, Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel : 35112, Surat : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001, Tel. : 434 550. Thane: UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601, Tel : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER ESTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24 Janpath, Kharvela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. Calcutta : 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel : 546136. Guwahati : Hindustan Bldg., 1st Flr., M. L. Nehru Marg, Pan Bazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exihibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel : 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M. G. Marg, Bangalore-560 001. Tel : 5595691. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Flr., M. G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel : 363 963. Hyderabad : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 195, Tel. 511 095, Chennai : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel : 38186. Mangalore : Siddharth Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel : 426 258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Flr., M. G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 760060. Trichur : 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaram Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. Vijaywada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520 002, Tel. : 74434, Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel : 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel : 400521. Amritsar : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel : 210367. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B Chandigarh-160 017. Tel. : 703683. Dehradun : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel : 746720. Faridabad : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel. : 219156. Ghazibad : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel : 790366. Jaipur : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel. : 365 212. Kanpur : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317 278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5 Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 238591. Ludhina : Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel. : 441264. New Delhi : Gulab Bhavan, 2nd Flr., 6, Bahadurshah Jafar, Marg., New Delhi-110-002. Tel. : 3318638. Shimla : Flat No. 401, 402, 403, 405 Mukesh Apts.. Fingask Estate, Near Hotel Sheel Shimla-171 002. Tel. : 257803. Varanasi : 1st Flr. D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001 Tel. : 358606.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998